

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

20/225 बंदी प्रसाद व/स जगमाल वगैरे
 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर R-1 अ.उ. R-4 अ.उ.
 श्री अग्निप्रेत कौशिक श्री CA-7

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तामील
 जारी हुए

01.11.21

बंदी प्रसाद बनाम जगमाल वगैरह
 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उभयपक्ष
 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
 अजमेर के द्वारा राजस्व वाद संख्या 213/2011 की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया
 कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व वाद का दिनांक 20.10.2021 को निस्तारण
 कर दिया है। चूंकि यह अपील 225 राज.काश्तकारी अधिनियम की हैं, जो सारहीन
 हो चुकी है इसलिए सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें।
 अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व वाद का निस्तारण हो जाने से अपील
 सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती
 है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया
 गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
 अजमेर